न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : के0सी0 जैन
सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 1680–एक/2008 विरूद्ध आदेश दिनांक 15–10–2008 पारित द्वारा अपर आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल प्रकरण क्रमांक 10/अपील/2008–09

1– सुनील कुमार आत्मज स्व0 हरिनारायण राठौर
निवासी बी.एच.ई.एल. भोपाल जिला भोपाल
2– बंटी कुमार राठौर आत्मज स्व0 हरिनारायण राठौर
निवासी दुर्गा कालौनपी गंज सीहोर, तहसील व
जिला सीहोर
3– विशन बाई पत्नि द्वारकाप्रसाद पुत्री हरिनारायण
निवासी दुर्गा कालौनपी गंज सीहोर, तहसील व
जिला सीहोर
4– ऊषा बाई उर्फ कल्लो बाई पत्नि मुकेश पुत्री
स्व0 श्री हरिनारायण
निवासी जंगलीखेडी तहसील कालापीपल,
जिला शाजापुर म0प्र0

———आवेदकगण

विरूद्ध

1– फुल्लो बाई विधवा धन सिंह राठौर
2– चन्ना उर्फ शंकरलाल पुत्र स्व0 धनसिंह
दोनों निवासी टगर मोहल्ला गंज सीहोर

———अनावेदकगण

.....

श्री एस0के0 गुरौदिया, अभिभाषक, आवेदकगण

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 28/07/2016 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल के आदेश दिनांक 15–10–2008 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अनावेदकगण ने व्यवहार वाद कमांक 15–अ/2004 में पारित निर्णय एवं जयपत्र तथा व्यवहार अपील कमांक 72/अ–025 में पारित आदेश दिनांक 24–12–05 के आधार पर ग्राम जमोनिया तालाब स्थित भूमि सर्वे कमांक 255/2 रकबा 3–89 एकड़ पर नामांतरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। आवेदक स्व0 हरिनारायण द्वारा नामांतरण प्रकरण में आपत्ति प्रस्तुत की। तहसीलदार ने आपत्ति पर दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात आदेश दिनांक 18–4–07 को अनावेदकगण के पक्ष में नामांतरण आदेश पारित किया। तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध आवेदक हरिनारायण ने अनुविभागीय अधिकारी सीहोर के समक्ष अपील प्रस्तुत की। अनुविभागीय अधिकारी ने आदेश दिनांक 10–7–08 में यह निष्कर्ष निकालते हुये कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 31–5–07 को आदेश पारित करते हुये अपील प्रकरण में आगे सुनवाई की तारीख तक वाद भूमि को Alienate नहीं करने के आदेश दिये है। अनुविभागीय अधिकारी ने अपील इस निष्कर्ष के साथ समाप्त की कि अनावेदकगण माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 31–5–07 का पालन करेंगे। इस आदेश के विरूद्ध आवेदकगण ने द्वितीय अपील अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत की। अपर आयुक्त ने आदेश दिनांक 15–10–2008 के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी का आदेश उचित पाते हुये अपील अग्राह्य की। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है।

3– आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक ने मुख्य रूप से तर्क दिया कि दिनांक 20–1–07 को नामांतरण के विरूद्ध आपत्ति इस आशय की प्रस्तुत की गई थी व्यवहार न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय में द्वितीय अपील में प्रारंभिक सुनवाई उपरांत गुण–दोषों पर निराकरण हेतु पंजीबद्ध की जा चुकी है अतः अग्रिम कार्यवाही स्थगित रखी जाये। परन्तु तहसीलदार ने आपत्ति को निरस्त कर नामांतरण करने में त्रुटि की है। यह भी तर्क किया कि प्रकरण में आपत्ति पर तर्क सुनने के पश्चात तहसीलदार द्वारा प्रकरण गुण–दोष पर निराकरण करने में त्रुटि की है। अनुविभागीय अधिकारी ने

मान0 उच्च न्यायालय के आदेश जिसके द्वारा कार्यवाही न करने के आदेश दिये गये थे उसके बावजूद बिना किसी आधार के अपील समाप्त करने में त्रुटि की है। अपर आयुक्त द्वारा तहसील न्यायालय एवं अनुविभागीय अधिकारी के आदेश स्थिर रखने में अनियमितता की है। अधीस्थ न्यायालयों के आदेश तथ्य एवं विधि विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

4– आवेदक अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष आवेदक द्वारा मान0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 31–5–07 की प्रति प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी ने मान0 उच्च न्यायालय द्वारा अपील प्रकरण में आगे सुनवाई की तारीख तक वाद भूमि को Alienate नहीं करने के आदेश दिये जाना पाते हुये इस निष्कर्ष के साथ अपील समाप्त की कि प्रतिवादीगण मान0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 31–5–07 का पालन करेंगे तथा अपीलार्थी चाहे तो मान0 उच्च न्यायालय के उक्त आदेश की सूचना अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है। अपर आयुक्त ने अपने आदेश में यह निष्कर्ष निकाल है कि मान0 उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 31–5–07 को आदेश पारित कर प्रकरण में आगे सुनवाई की तारीख तक वादभूमि को एलीनेट नहीं करने के आदेश दिये है तथा इस स्थगन को समाप्त कर दिया गया है या नहीं अथवा प्रकरण में आगामी क्या निर्णय अथवा तिथि अंकित है, इस संबंध में अपीलार्थी के अधिवक्ता द्वारा कोई जानकारी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं की गई है। चूंकि मान0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित अदेश राजस्व न्यायालय पर बंधनकारी है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण में कोई कार्यवाही न करते हुये प्रकरण समाप्त किया है जिसमें कोई त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है। आवेदक अभिभाषक द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों सहित इस न्यायालय में मान0 उच्च न्यायालय के आग्रिम कार्यवाही अथवा आदेश की जानकारी प्रस्तुत नहीं की है। इसके अतिरिक्त मान0 उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित द्वितीय अपील में पारित आदेश सभी राजस्व न्यायालयों पर

बंधनकारी है इसलिए अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त द्वारा प्रकरण के संबंध में जो निष्कर्ष निकाले हैं उसमें कोई त्रुटि नहीं की है।

6/ उपरोक्त विवेचना के प्रकाश में निगरानी निरस्त की जाती है। अपर आयुक्त भोपाल का आदेश दिनांक 24–9–08 स्थिर रखा जाता है।

(के0सी0 जैन)
सदस्य,
राजस्व मण्डल,मध्यप्रदेश,
ग्वालियर,